कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद।

कार्या0– हैलेट रोड़ मुरादाबाद– 244001, कन्ट्रोल रूम– 9454418529 : cfomdd@gmail.com

पत्रांकः भ–74 / सीएफओ / स्कूल / एमडीडी / 2012 / 19 दिनांकः अक्टूबर 8 ,2020

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक,
श्री गुरू रामराय पब्लिक स्कूल,
कॉठ रोड़ जिला मुरादाबाद।

विषयः– श्री गुरू रामराय पब्लिक स्कूल, कॉठ रोड़ जिला मुरादाबाद की निरीक्षण आख्या (फायर ऑडिट रिपोर्ट) के समबन्ध में ।

सन्दर्भः–आपका प्रार्थना पत्र दिनांकः 28.09.2020,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के अनुरोध पर श्री गुरू रामराय पब्लिक स्कूल भवन में उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में अग्निशमन अधिकारी हैलेट रोड़ मुरादाबाद श्री शत्रुघ्न द्वारा निरीक्षण कराया गया। तो उनकी निरीक्षण आख्या दिनांकः 05.10.2020 के अनुसार प्रश्नगत भवन में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं निरीक्षण के दौरान स्थापित एवं कार्यशील दशा में पायी गयी–

(क)–भवन की संरचनाः– (तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्रांकः भ–74 / सीएफओ–स्कूल / एमडीडी / 2012, दिनांकः 22.09.2012 द्वारा अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है एवं पत्रांकः भ–74 / सीएफओ–स्कूल–एमडीडी / 2017, दिनांकः 27.06.2017 द्वारा अग्निशमन उपकरणों का नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत है।) प्रश्नगत् भवन केवल भूतल एवं प्रथम तल पर निर्मित है, जो वर्ष–1994 से संचालित है।

(ख)–पूर्व में स्कूल प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार उक्त स्कूल को संयुक्त शिक्षा सचिव उ0प्र0शासन शिक्षा अनुभाग–7के पत्र संख्या 1642 / 15–7–14(27) / 1999 दिनांकः 29.04.1999 के द्वारा सी0बी0एस0ई0बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त है।

(ग)–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें :–प्रश्नगत् भवन में निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कार्यशील दशा में पायी गयी–

1. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):–** फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील दशा में स्थापित हैं।
2. **एग्जिट साइनेजः–**सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय हैं।
3. **पी0ए0सिस्टमः–**सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम स्थापित हैं।

प्रबन्धक द्वारा संस्थान में उपलब्ध **20** अदद फायर एक्सटिंग्युशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्याः–1120(1) / आठ, दिनांकः 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रू0 **200 /–**भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद में चालान संख्याः आई0यू0–00033 दिनांकः 30.09.2020 द्वारा जमा कराया गया।

1–प्रश्नगत भवन में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स शैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखें जाये।

2–प्रश्नगत् भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित 24 x 7 प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाये।

3– प्रत्येक 6 माह में एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल / फायर ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेंन्सी इवैक्यूशन प्लान बनाया जाये। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाये। ड्रिल सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण अभिलेखों में अंकित किया जाये।

4–सत्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही भवन मान्य होगा।

5–प्रश्नगत् भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाये।

6–प्रश्नगत भवन में ढाचागत एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं बिल्डिंग बॉयलॉज / एन0बी0सी0 में दिये गये मानको के अनुसार वांछनीय होंगे तथा ऑनलाइन एनओसी के सम्बन्ध में निर्गत शासन आदेश संख्या–1765 / छ–पु–8–2017–905(34) / 2016, दिनांकित 16.02.2018में वर्णित निदेशों के अनूरूप ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7–वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा,फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा

8–निकास मार्ग सदैव खुले एवं बाधारहित रखें जायें।

9–प्रश्नगत भवन का विद्युत सुरक्षा सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा।

–2–

8/10/XX